



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेंगा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

बेवसाइट- <http://www.mpseiaaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 2261 / SEIAA/2022
Date: 7/12/22

प्रति,

सदस्य सचिव,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
अनुसंधान एवं विकास विभा,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेंगा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्र. 9368 / 2022 - परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मॉ नर्मदा क्रेशर, प्रोपराईटर, श्री रामलाल मंडलोई, निवासी सोण्डुल, तहसील मनावर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी ऐकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8858 घनमीटर प्रतिवर्ष, रक्का 2.90 हेक्टेयर, खसरा 46/1 पैकी, ग्राम सोण्डुल, तहसील मनावर, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में SEAC समिति की 603वीं बैठक दिनांक 04.11.2022 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण की 759 वीं बैठक दिनांक 24.11.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

"..... पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि बिना पर्यावरणीय अभिस्थीकृति के खनन कार्य करने बावत उनके द्वारा यह प्रकरण वॉयलेशन की श्रेणी में आवेदन किया गया है।

After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 and Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in above notifications and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

Committee recommends SEIAA to initiate action under section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986 through competent authority as per step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21.

Committee also recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 and Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये। इसके साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07.07.2021 के Step-2 के परिपालन म पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07.07.2021 के Step-2 के परिपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 2262 /SEIAA/2022 दिनांक - 7/12/22 %

प्रतिलिपि:-

मेसर्स मॉ नर्मदा क्रेशर, प्रोपराईटर, श्री रामलाल मंडलोई, निवासी सोण्डुल, तहसील मनावर, जिला धार को सूचनार्थ।

(आलका नायर)
प्रभारी अधिकारी